

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

दूरभाष : 0755-2581067, ईमेल : <civil.mprmsa@gmail.com>

क्रमांक : लोशिस/छात्रावास भोजन सुर.व्य.संचालन/2018/ 29 | भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2018

प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले (म.प्र.)।

विषय:- विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित छात्रावासों में भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्देश।

---00---

विभाग द्वारा निम्नानुसार छात्रावास पूर्व से संचालित किये जा रहे हैं :-

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित 201 स्थानों पर 100 सीटर बालिका छात्रावास,
- सुपर 100 योजना अंतर्गत भोपाल एवं इन्दौर स्थित बालक एवं बालिका छात्रावास।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में विभाग द्वारा निम्नानुसार नवीन छात्रावासों का संचालन 2 अक्टूबर 2018 से आरंभ किया जाना है। विवरण निम्नानुसार है -

- 41 जिला मुख्यालय (अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा) पर संचालित विभागीय उत्कृष्ट विद्यालय के साथ एक 50 सीटर बालक तथा एक 50 सीटर बालिका छात्रावास इस प्रकार प्रति उत्कृष्ट विद्यालय 2 छात्रावास के मान से 82 छात्रावास।
- 6 स्थानों (झाबुआ, हरसूद (खंडवा), छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल और उज्जैन) पर एक-एक 100 सीटर बालिका छात्रावास।

उपरोक्त छात्रावासों में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था की जाना है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें :-

(1) भोजन व्यवस्था :- भोजन हेतु सेवाप्रदाता का चयन टेण्डर के माध्यम से किया जाना है। टेण्डर की कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर क्रय समिति गठित की जायेगी। जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे -

- | | |
|--|------------|
| 1. जिला शिक्षा अधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2. कलेक्टर द्वारा मनोनीत बजट एवं लेखा से संबंधित अधिकारी | - सदस्य |
| 3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक | - सदस्य |
| 4. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान | - सदस्य |
| 5. संबंधित शालाओं के प्राचार्य | - सदस्य |
| 6. प्राचार्य द्वारा मनोनीत शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य | - 02 सदस्य |

1.1 भोजन व्यवस्था हेतु समिति द्वारा Gem Portal से सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा। Gem Portal पर संलग्न निर्धारित शर्त अनुसार जिलों द्वारा निविदा जारी की जायेगी। शर्त परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

1.2 Gem पोर्टल से टेंडर प्राप्त न होने पर जिले की क्रय समिति स्थानीय स्तर पर खुली निविदा e-procurement से आमंत्रित कर एजेंसी का चयन करेंगे। निविदा प्रपत्र का सुझावात्मक प्रारूप परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

1.3 निविदा में अधिकतम राशि रु. 2000 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह तक (समस्त टेक्स सहित) दरें प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा निविदा स्वीकृत की जा सकेगी। राशि रु. 2000 से अधिक दरें प्राप्त होने पर पुनः निविदा जारी की जायेगी।

2

1.4 पैरा 1 से 3 में दर्शित निर्देशों के अनुसार ही पूर्व से संचालित 201 बालिका छात्रावासों और सुपर 100 छात्रावास में भी मेस व्यवस्था की जायेगी। जिन छात्रावासों में पूर्व से संतोषजनक मेस व्यवस्था संचालित हैं तथा अनुबंध की समयावधि समाप्त नहीं हुई है, उनके लिये टेंडर जारी नहीं किया जायेगा।

1.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित 201 बालिका छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु रूपये 1500 प्रति विद्यार्थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से तथा अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर अधिकतम प्रति विद्यार्थी रूपये 500 राज्य बजट से व्यय किया जा सकेगा।

(2) निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता के चयन तक अंतरिम व्यवस्था -

2.1 उपरोक्तानुसार भोजन सेवाप्रदाता के चयन में समय लगना संभावित है। अतः 2 अक्टूबर 2018 से छात्रावास आरंभ किये जाने के दृष्टिगत 41 जिला मुख्यालय पर 41 बालक छात्रावास एवं 41 बालिका छात्रावासों तथा 100 सीटर 6 बालिका छात्रावास (जहाँ न्यूनतम 50 बालिकाएँ छात्रावास हेतु उपलब्ध है) में भोजन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए -

2.1.1 प्रथमतः जिले में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत स्वसहायता समूह से व्यवस्था की जाये।

2.1.2 अन्यथा की स्थिति में स्थानीय व्यवस्था यथा अन्य स्थानीय छात्रावासों में संचालित मेस व्यवस्था के माध्यम से अथवा छात्रावास में भोजन तैयार करवाकर छात्रावासी विद्यार्थियों को भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

2.2 भोजन अंतर्गत परिशिष्ट-स पर संलग्न मीनू का पालन किया जायेगा।


(3) सुरक्षा व्यवस्था :- आगामी आदेश तक निम्नानुसार कार्यवाही की जाए-

3.1 इन छात्रावासों में प्रथमतः विभागीय कर्मचारी की सेवाएँ ली जाएं।

3.2 यदि विभागीय कर्मचारी से व्यवस्थाएँ संभव न हो तो अन्य व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाये। विभागीय कर्मचारी के अलावा स्थानीय व्यवस्था किये जाने पर 1 चौकीदार हेतु राशि रूपये 5000/- प्रतिमाह (भारत शासन के नवीन निर्देशों के अनुरूप) पर की जा सकेगी। अर्हताएँ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित बालिका छात्रावास के अनुरूप होंगी।

संलग्न : - 1. निर्धारित शर्त,

2. निविदा प्रपत्र प्रारूप।



(जयश्री कियावत) 18
अमृत
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र: लोशिस/छात्रावास भोजन सुर.व्य.संचालन/2018/292

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2018

प्रतिलिपि

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संबंधित प्राचार्य, शासकीय जिला स्तरीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, धार, डिंडोरी, खरगौन, झाबुआ, मंडला एवं शहडोल को छोड़कर) की ओर 50 सीटर बालक एवं 50 सीटर बालिका छात्रावास संचालन विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला उज्जैन, झाबुआ, छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल हरसूद (खंडवा) की ओर 100 सीटर बालिका छात्रावास संचालन विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित प्राचार्य शासकीय कन्या उच्च.माध्य.विद्यालय (जिला दतिया, रायसेन, शाजापुर तथा नरसिंहपुर को छोड़कर) के साथ संलग्न राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित 201 बालिका छात्रावास संचालन विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

GEM Portal से सेवा प्रदाता का चयन हेतु शर्तें :-

प्रदेश के विभागीय 41 जिला मुख्यालय पर संचालित उत्कृष्ट विद्यालय के साथ 50 सीटर बालक तथा 50 सीटर बालिका छात्रावास, 6 स्थानों पर 100 सीटर बालिका छात्रावास, सुपर 100 छात्रावास आरंभ किये जाने हैं। साथ ही बालिका छात्रावासों (201) जो पूर्व से संचालित हैं, में निवास करने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये भोजन व्यवस्था की जाना है। इस हेतु GEM Portal से सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। सेवा प्रदाता का चयन करते समय निम्नलिखित शर्तें सुनिश्चित करें -

- 1- एजेन्सी मध्यप्रदेश में पंजीकृत होनी चाहिये एवं जिले में एजेन्सी का स्थानीय कार्यालय होना अनिवार्य है।
- 2- विगत 3 वर्षों में न्यूनतम रूपये 25 लाख का टर्नओवर प्रतिवर्ष हो।
- 3- बालिका छात्रावासों में महिला कर्मचारी की अनिवार्यता रखी जायेगी।
- 4- प्रतिदिन प्रदाय की जाने वाले भोजन में कैलोरी की मात्रा हेतु मीनू का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बाल अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित डाइट चार्ट के आधार पर भोजन प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 5- फर्म रोटी बनाने की मशीन की व्यवस्था भी सभी छात्रावासों में अलग-अलग करेगी।
- 6- भंडार क्रय नियमों के अनुसार सफल निविदाकर्ता से Performance guarantee के रूप में कुल संविदा मूल्य की 5% राशि जमा करवाई जायेगी।



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला _____

निविदा प्रारूप

परिशिष्ट-ब

निविदा सूचना

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर संचालित उत्कृष्ट विद्यालय/100 सीटर 6 नवीन बालिका छात्रावास/201 बालिका छात्रावास/सुपर 100 अंतर्गत संचालित छात्रावासों में भोजन हेतु मेस व्यवस्था के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

1. निविदा प्रपत्र राशि रुपए 1,000/- (राशि रुपए एक हजार मात्र) दिनांक _____ से दिनांक _____ सायं 5.00 बजे तक जिला कार्यालय से प्राप्त किया सकता है। निविदाएँ दिनांक _____ को दोपहर 12.30 बजे तक जमा की जा सकेंगी।
2. निविदा हेतु अनिवार्य सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा ई.एम.डी. का डिमांड ड्राफ्ट दिनांक _____ को दोपहर _____ बजे तक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला _____ में जमा किए जा सकेंगे। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। प्राप्त निविदाएँ दिनांक _____ को दोपहर _____ बजे खोली जाएगी।
3. यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोलने की कार्यवाही की जावेगी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला _____ को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताएँ अमान्य करने का अधिकार होगा।
5. यदि कोई फर्म एक से अधिक छात्रावासों हेतु दरें देना चाहता है तो प्रत्येक छात्रावास के लिए पृथक पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
6. निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला _____

कार्यालय का नाम एवं पता.....
"मेस कार्य व्यवस्था हेतु जारी निविदा"

प्रपत्र क्रमांक : जारी करने की तिथि :

निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम :

निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट : रु.100000/- (एक लाख)

- निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि व समय : दिनांक
पूर्वाह्न 11:30 बजे
- तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक
अपरान्ह 12:30 बजे
- वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय : तकनीकी निविदा में सफल
निविदाकर्ता को सूचीबद्ध
करने के पश्चात् सूचित
किया जाएगा।

● टिप्पणी :

1. निविदा प्रपत्र में पृष्ठों की कुल संख्या 18 (सत्रह पृष्ठ) है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता की मुद्रा व हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए।
2. निविदा प्रपत्र की शर्तें एज्युकेशन पोर्टल <http://www.educationportal.mp.gov.in/> पर भी उपलब्ध रहेंगी।
3. तकनीकी निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तथा वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में रखना होगा उक्त लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए तथा इन लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखेंगे जिस पर मेस कार्य व्यवस्था हेतु निविदा लिखा होना अनिवार्य है।
4. निविदा प्रपत्र तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा जिला शिक्षा अधिकारी .जिलाके नाम से प्रेषित की जायेगी।
5. फैंक्स व ई-मेल के माध्यम से भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं होगी।

..... छात्रावास, विकास खण्ड..... छात्रावास
विकास खण्ड छात्रावास.....

कार्य का स्वरूप : मेस कार्य व्यवस्था में स्थापित होकर संचालित की जायेगी। मेस कार्य विद्यालय के छात्रावास हेतु संचालित होगी व निविदाकर्ता को छात्रावास के विद्यार्थियों को नियमित रूप से नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि के भोजन की व्यवस्था हेतु सेवाएं प्रदाय करना होगी। निविदाकार के द्वारा संचालित मेस व्यवस्था का निरीक्षण किसी भी समय जिले विकास खण्ड के अधिकारियों एवं प्राचार्य या उनके प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

कार्य का प्रयोजन : निविदाकर्ता के छात्रावास के विद्यार्थियों के लिये नाश्ता व दोपहर तथा रात के भोजन के समयानुसार आपूर्ति/व्यवस्था (अनुमोदित मेन्यु तथा दरों के अनुसार) करनी होगी। कार्य की विस्तृत जानकारी व अनुबंध के नियम व शर्तें नीचे दी गई हैं। मेस कार्य व्यवस्था का समय प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा।

निविदा प्रक्रिया :-

1. निविदा प्रपत्र की प्राप्ति जिला शिक्षा अधिकारी, जिला के कार्यालय से रु.1000/- (एक हजार मात्र) के नगद भुगतान उपरांत प्राप्त किया जा सकेगा साथ ही निविदा प्रपत्र एजुकेशन पोर्टल <http://www.educationportal.mp.gov.in/> पर भी अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेंगे।
2. निविदा प्रपत्र की प्राप्ति कार्यालयीन समय में दिनांक 2018 से 2018 (अंतिम तिथि को पूर्वान्ह 11:30 बजे तक निविदा स्वीकार्य की जाएगी) तथा प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेगी।
3. केवल निर्धारित निविदा प्रारूप में प्रतिभूति राशि के साथ जमा निविदा ही स्वीकार होगी अन्य किसी फार्म या प्रारूप में प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4. निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है। निविदा फार्म क्रय हेतु जमा की गई राशि वापिस नहीं की जावेगी। निविदा के साथ निविदा फार्म के क्रय का प्रमाण देना आवश्यक है, यदि निविदा प्रपत्र के क्रय का प्रमाण संलग्न नहीं किया जाता है तो निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
5. मुहरबंद लिफाफे में निविदा दिनांक को पूर्वान्ह 11:30 बजे तक प्राप्त/जमा हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तथा वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में रखना होगा उक्त लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए तथा इन लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखेंगे जिस पर "मेस कार्य व्यवस्था हेतु निविदा" लिखा होना अनिवार्य है।
6. नियत समय एवं दिनांक तक प्राप्त निविदाओं को जिला शिक्षा अधिकारी जिला.....के कार्यालय परिसर में उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक ... को अपरान्ह 12:30 बजे (दोपहर) खोला जाएगा।
7. यह विद्यालय/संस्थान विलंब या अप्राप्त होने वाली निविदा फार्म के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
8. तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के वित्तीय निविदा प्रस्ताव उसी समय इस कार्य हेतु गठित क्रय समिति द्वारा निविदाकारों के समक्ष खोले जाएंगे। निविदाकारों द्वारा प्रदत्त की गई दरों का परीक्षण गठित क्रय समिति द्वारा किया जाएगा तथा न्यूनतम वित्तीय दरें स्वीकृत की जाएगी। यदि L1 दर पर निविदाकार की गुणवत्ता परीक्षण में असफल होते हैं तो L2 दर प्रदायकर्ता को अवसर दिया जाएगा।
9. फैंक्स या ई-मेल के माध्यम से भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. यदि किसी भी निविदाकार को निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होगी तो लिखित आपत्ती ही स्वीकार होगी जिसका परीक्षण इस कार्य हेतु गठित समिति उठायी गई

आपत्ति का परीक्षण कर उसका निष्पादन करेगी। निविदाकार पर समिति का अंतिम निर्णय बाध्य होगा।

11. तकनीकी निविदा हेतु आवश्यक अहर्ताएं, दस्तावेज एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

i. प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट।

ii. निविदाकार को निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि जो कि स्वप्रमाणित या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अभिप्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य है :-

- 1) मध्यप्रदेश जी.एस.टी. के अंतर्गत जारी पंजीयन का प्रमाण पत्र। उक्त पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा खोलने की दिनांक से अनुबंधित अवधि तक जीवित होना आवश्यक है।
- 2) मध्यप्रदेश जी.एस.टी. के अंतर्गत जारी कर समाशोधन का नवीनतम प्रमाण पत्र।
- 3) आयकर अधिनियम के अंतर्गत जारी स्थाई लेखा संस्था का प्रमाण पत्र।
- 4) खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- 5) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- 6) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का प्रमाण पत्र।
- 7) सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन का प्रमाण पत्र।
- 8) विगत तीन वर्षों के GST/सेवाकर के विवरण पत्रों तथा कर भुगतान के चालानों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

iii. संस्था/फर्म/कंपनी द्वारा निविदा में भाग लेने के लिये अधिकार पत्र।

iv. निविदाकार को इस आशय का स्वलिखित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा कि उसका नाम विद्यालय अथवा अन्य किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय विभाग की काली सूची में दर्ज नहीं है। तथा इस बावत् शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त शपथ पत्र असत्य पाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी जिलाकानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

v. परिशिष्ट-‘अ’ के अनुसार निविदाकार का संपूर्ण विवरण हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित।

vi. परिशिष्ट-‘ब’ के अनुसार वर्तमान ग्राहकों की सूची तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि का विवरण हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित।

vii. परिशिष्ट-‘स’ के अनुसार पूर्व ग्राहकों की सूची तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि का विवरण हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित।

viii. परिशिष्ट-‘द’ के अनुसार घोषणा पत्र तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर/मुद्रा अंकित की जाए।

12. वित्तीय निविदा प्रस्ताव लिफाफे में निम्नलिखित अभिलेख रखें जाए।

12.1 निविदाकार परिशिष्ट-1 सूची अनुसार अपनी दर निर्धारित कालम में प्रस्तुत करें।

12.2 मेस कार्य की दरें परिशिष्ट के अनुसार प्रस्तुत की जाएं जिसमें समस्त प्रकार के व्यय तथा कर सम्मिलित होंगे।

- 12.3 कार्य की दरें संबंधित छात्रावास में प्रदत्त सेवाएं/कार्य हेतु होगी। प्रस्तावित दर अंकों एवं शब्दों में होंगे। दरों के संबंध में अंकों में तथा शब्दों में भिन्नता पाये पर न्यूनतम दर ही मान्य की जावेगी।
- 12.4 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र में उपलब्ध उपयुक्त स्थान में नाम तथा संपर्क का पूर्ण पता स्पष्ट प्रविष्टियाँ करना होगी। किसी भी प्रकार की भूल सुधार, कांट-छांट, ओवर राइटिंग के स्थान पर विधिवत् प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य किये जायेंगे।
- 12.5 वित्तीय प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा मुद्रा अंकित हो। निविदा "जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला..... के नाम से भेजी जाएगी।
13. प्रतिभूति राशि :- प्रतिभूति की राशि प्रति छात्रावास रु. 50,000/- होगी। यदि कोई निविदाकर्ता एक से अधिक छात्रावासों हेतु आवेदन करना चाहे तो उसे प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन करना होगा। उक्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला शिक्षा अधिकारी जिला.....को देय होगी। प्रतिभूति राशि अन्य किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
14. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निविदा हेतु अधिकृत समिति को होगा।
15. मेस कार्य व्यवस्था हेतु शर्तें व नियम :-
- 15.1 सफल निविदाकार को लिखित में सूचना दी जावेगी।
- 15.2 निविदा उद्धरण आधिकारिक निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत किए जाएं। अगर किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत है तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 15.3 निर्धारित प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा उद्धरण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 15.4 मेस कार्य व्यवस्था का अनुबंध, अनुबंध दिनांक से एक साल की अवधि/अकादमिक सत्र जो भी पहले हो के लिये है जिसे दोनों पक्षों की सहमति उपरांत इसी दर पर पुनः एक वर्ष की अवधि/अकादमिक सत्र के लिये आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- 15.5 निविदा में भाग लेने हेतु सभी निविदाकारों को नियमित मेस कार्य न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। इस विषयक प्रमाण पत्र प्रदाय करना अनिवार्य होगा, उक्त प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित संस्थानों में पहले कंटेरिंग कार्य बावत् हो और यदि वर्तमान में किया जा रहा हो तो उसका विवरण तथा प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
- 15.6 निविदाकार अथवा उसकी फर्म/कंपनी/संस्था जिसके माध्यम से कंटेरिंग व्यवस्था संचालित की जावेगी का विगत 03 वर्षों में टर्नओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम 25 लाख होना चाहिए। इस संबंध में निविदाकर्ता को विगत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकक्षित बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि खाता, वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, का संलग्न करना अनिवार्य है तथा उपरोक्त के साथ विगत तीन वर्षों की स्वप्रमाणित आयकर की विवरणियां तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा टर्नओवर का मूल प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।
- 15.7 शासन द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले कर जैसे-जीएसटी, आयकर, वृत्तिकर, ई.पी. एफ. तथा ई.एस.आई. इत्यादि के भुगतान का दायित्व संबंधित फर्म/संस्था/कंपनी का होगा। इस हेतु विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

15.8 संस्था/फर्म/कंपनी भोजन तैयार करने हेतु किचन/भोजन कक्ष, टेबल/कुर्सी आवश्यक बर्तनों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेगी। पर्याप्त मात्रा में वाशिंग पाउडर क्लीनिंग किट का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित फर्म/संस्था को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भोजन पकाने के बर्तन, थाली ग्लास कटोरी-चम्मच इत्यादि साफ हो तथा भोजन पकाने का कक्ष (रसोई घर) जीवाणु रहित हो। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत पाए जाने पर निविदाकार के भुगतान देयक से रु.1000/- (एक हजार मात्र) प्रति दिन के हिसाब से कटौती किया जा सकता है।

15.9 भोजन तैयार करने हेतु रसोई घर, भोजन कक्ष तथा फर्नीचर की उपलब्धता विद्यालय द्वारा की जावेगी किन्तु इसके संधारण एवं मरम्मत की व्यवस्था निविदाकार को करना होगी। इसके अतिरिक्त व्यवस्था हेतु लगने वाली अन्य सामग्री तथा भोजन बनाने परोसने एवं खाने के बर्तन इत्यादि की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। खाने के बर्तन जैसे-प्लेट, ग्लास, चम्मच, कटोरी, मग अन्य बर्तन उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। फर्म रोटी बनाने की मशीन की व्यवस्था भी सभी छात्रावासों में अलग-अलग करेगी।

15.10 निविदाकार को विद्यालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री, फर्नीचर इत्यादि का किराया विद्युत खपत की राशि रु.5000/- प्रतिमाह एवं जल कर की राशि रु.1000/- प्रतिमाह की दर से संबंधित छात्रावास में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक जमा करना होगी अन्यथा निविदाकार के बिल की राशि से कटौती किया जायेगा/किया जा सकेगा।

15.11 विद्यालय द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री को किसी भी प्रकार की हानि होती है अर्थात् टूट-फूट वस्तु गुम होना इत्यादि की पूर्ति निविदाकार स्वयं करेगा। अस्वीकार किये जाने की दशा में भुगतान देयक से उक्त हानि की पूर्ति की जा सकेगी।

15.12 निविदाकार के कर्मचारी प्रदत्त सेवाओं हेतु प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 तक उपलब्ध रहेंगे। प्रतिदिन निविदाकार के कर्मचारी रसोईघर, भोजन कक्ष, भोजन उपयोग हेतु बर्तन एवं फर्नीचर, फर्श की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के पश्चात् ही जाएंगे। यदि निरीक्षण में गंदगी पायी जाती है तो प्रत्येक बार रु.1000/- (एक हजार मात्र) देयक की राशि से कटौती किया जावेगा।

15.13 छात्रावास में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खराब होने पर उनकी मांग के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी होगी। व्रत/उपवास रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उनकी मांग के अनुसार भोजन देना होगा।

15.14 मेस/रसोई घर में कार्य करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी। छात्रावासों में पूर्व में कार्य कर चुके कर्मियों को प्राथमिकता देनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारी शालीन, सभ्य एवं स्वच्छता रखने वाले होने चाहिए। कार्यरत कर्मचारियों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र जो कि शासकीय स्नात्कोत्तर चिकित्सक से प्राप्त हो तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

15.15 निविदाकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी किसी भी रोग से मुक्त हो तथा बार-बार होने वाली बीमारियों, विशेष कर संक्रामक रोगों से विमुक्त होना चाहिए।



- कार्यरत कर्मचारी वर्दी में हो तथा नाम की पट्टी उनकी वर्दी पर संलग्न हो साथ ही यह भी विशेष ध्यान रखना होगा कि कन्या छात्रावास में महिला कर्मी ही रखें जायेंगे।
- 15.16 मेस/रसोई घर/विद्यालय परिसर में कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी पान, तम्बाकू, सिगरेट तथा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी अन्य को प्रदाय करेगा। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को तत्काल हटाने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
- 15.17 भोजन पकाने हेतु व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग करना अनिवार्य है जिसकी व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। जिसका पृथक से कोई भी भुगतान छात्रावास द्वारा नहीं किया जाएगा।
- 15.18 मेस केटरिंग व्यवस्था का संचालन निर्धारण सुचारु रूप से न करने पर एक माह की अग्रिम सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी जिला..... का निर्णय अंतिम होगा तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 15.19 निविदा में सफल निविदाकार सांविधिक आवश्यकताओं जैसे न्यूनतम भुगतान अधिनियम कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, श्रम अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत समस्त प्रकार के भुगतान का उत्तरदायित्व निविदाकार पर होगा। कार्य के दौरान यदि निविदाकार के कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। ऐसी दशा में मेस व्यवस्था में लगे कार्यरत कर्मचारी/कर्मचारियों को शासन/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/छात्रावास में रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा।
- 15.20 भुगतान:-निविदा में सफल निविदाकार को मेस संचालन हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। देयकों का भुगतान, नियत अवधि में प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के भीतर कर दिया जावेगा। शासन द्वारा लगाए गये वित्तीय व्यवधान के दौरान देयकों के भुगतान में विलंब हो सकता है। किन्तु इस विषयक निविदाकार को किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या ब्याज देय नहीं होगा।
- 15.21 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयकों का निरीक्षण/जाँचने के पश्चात् आयकर अधिनियम, म.प्र. वेट अधिनियम व शासन द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले अन्य कर/शेष इत्यादि का देयकों से नियमानुसार कटौती किये जाने के पश्चात् शुद्ध राशि का भुगतान वार्डन के स्तर से किया जावेगा।
- 15.22 सफल निविदाकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में रु. 1.00 लाख प्रति छात्रावास जमा की जायेगी पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदाकारों को उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की राशि उनके आवेदन पर निर्णय उपरांत वापिस कर दी जावेगी।
- 15.23 सफल निविदाकार को कार्यादेश में उल्लेखित अवधि के किये अनुबंध (जो कि उचित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित) संपादित करना होगा तथा दर्शाई गयी तिथि से तत्काल कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता को कार्य सौंपने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी जिला..... स्वतंत्र होंगे एवं ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।



15.24 किसी भी प्रकार की शासकीय सामग्री छात्रावास की वार्डन या उनके अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति के बिना भवन/परिसर के बाहर जाने नहीं दी जावेगी। इस कार्य हेतु एक पंजी रखी जायेगी जिसमें अनुमति प्राप्त सामग्री को दर्ज करने के पश्चात् ही बाहर ले जाया जा सकेगा।

15.25 सफल निविदाकार संस्था किसी कारणवश अपनी सेवाएं अनुबंध के पूर्व समाप्त करती हैं तो उसे दो माह पूर्व लिखित सूचना देना होगी। ऐसे निविदाकार की संस्था को भविष्य में इस विद्यालय में निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा। तथा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।

15.26 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला रहेगा।

16. भोजन की गुणवत्ता के संबंध में अन्य शर्तें :-

16.1 बाल अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित डाइट चार्ट अनुसार भोजन प्रदाय किया जायेगा।

मौसम के अनुसार उपलब्ध होने वाली सब्जियाँ जैसे-आलू, मटर, टमाटर, गोभी, भिण्डी, कटहल, बैंगन, शिमला मिर्च, बीन्स, टिण्डे, परमल, करेला, अरबी, लौकी इत्यादि का उपयोग तैयार किये गये मेन्यू के अनुसार बारी-बारी से देना होगा।

16.2 भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना होगा। नाश्ता, लंच, डिनर बफे सिस्टम होगा। छात्राओं को अवगत कराना होगा कि आवश्यकतानुसार नाश्ता/भोजन लें।

16.3 स्वीट डिश के रूप में परोसे गये आयटम जैसे छैना रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इत्यादि इस प्रकार की खाद्य वस्तुएं उचित आकार की होनी चाहिए।

16.4 खाद्य तेल डबल रिफाइण्ड सर्वोत्तम क्वालिटी का होगा। छात्रावास वार्डन द्वारा इसका ब्राण्ड कभी भी तय किया जा सकेगा।

16.5 एम.डी.एच./एवरेस्ट/विंध्यावेली /पतंजली के मसालों को प्रयोग में लाया जावेगा। अन्य ब्राण्ड के मसाले प्रयोग में लाने से पूर्व मेस प्रभारी की अनुमति आवश्यक होगी।

16.6 शर्बती गेंहू के आटे का प्रयोग किया जावेगा।

16.7 गर्मियों के मौसम में सप्ताह में 03 दिवस केरी का पना एवं शेष दिवसों में दही उपयोग में लाया जायेगा।

16.8 जो भी खाद्य सामग्री उपयोग में लायी जावे वह अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। किचिन में उपयोग लाई गई हरी सब्जियां ताजी तथा मुलायम होनी चाहिए। जिनमें कीटनाशकों का प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक न किया गया हो।

छात्रावास की मेस व्यवस्था

हेतु निविदा-प्रपत्र-1

1 पोषण और आहार मानक-

1. निम्नलिखित पोषण और आहार पैमाने का पालन छात्रावासों में किया जाएगा -

- I. बच्चों को एक दिन में चार भोजन प्रदान किए जाएंगे।
- II. मेनू पोषण संबंधी विवरण की मदद से तैयार किया जाएगा, चिकित्सक द्वारा मासिक चिकित्सा जांच-पड़ताल के दौरान, यदि बच्चों में कोई कमी देखी जाती है, तो पोषण संबंधी कमी की पूर्ति के लिए मेनू तैयार किया जाना चाहिए।
- III. प्रत्येक छात्रावास नीचे निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम पोषण मानक और आहार पैमाने का पालन करेगा:-

सरल क्रमांक	नाम	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा
1	चावल, गेहूँ, रागी, चावल का आटा	600 ग्राम, (700 ग्रा. 16-18 वर्ष के लिये)
2	दाल, राजमा, चना	120 ग्राम
3	खाने योग्य तेल	25 ग्राम
4	प्याज	25 ग्राम
5	नमक	25 ग्राम
6	हल्दी	5 ग्राम
7	धनिया पाउडर	5 ग्राम
8	अदरक	5 ग्राम
9	लहसुन	5 ग्राम
10	इमली / अमचूर पाउडर	5 ग्राम
11	दूध (नाश्ते में)	150 एमएल.
12	सूखी मिर्च	100 ग्राम, 130 ग्राम
13	सब्जियां पत्तों वाली	5 ग्राम
14	दही और पनीर	100 ग्राम / एमएल
15	पनीर या मशरूम	50 ग्राम
16	गुड़ और मूंगफली के दाने और पनीर	60 ग्राम (पनीर के लिये 100 ग्राम) सप्ताह में 1 बार
17	शक्कर	40 ग्राम
18	चाय	5 ग्राम
19	सूजी / पोहा	150 ग्राम

सरल क्रमांक	नाम	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा
20	रागी	150 ग्राम
निम्न सामग्री 50 बच्चों के लिये प्रतिदिन		
21	पीपर	25 ग्राम
22	जीरा	25 ग्राम
23	काला	50 ग्राम
24	सरसों	50 ग्राम
25	अजवाइन	50 ग्राम
पनीर और मशरूम के दिन		
26	गरम मसाला	10 ग्राम
27	खोपरा	150 ग्राम
28	खसखस	150 ग्राम
29	मूंगफली का तेल	500 ग्राम
बीमार बच्चों के लिये		
30	ब्रेड	500 ग्राम
31	दूध	500 एमएल.
32	खिचड़ी	300 ग्राम

2. बच्चों को अवकाश, त्यौहार, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय त्यौहारों पर विशेष भोजन या नाश्ता दिया जायेगा।
3. बीमार बच्चों को उनकी आवश्यकता पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार विशेष आहार प्रदान किया जाएगा।
4. प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा जिसमें लोहा, फोलिक एसिड, कैल्शियम और जिंक की खुराक की आवश्यकता शामिल है।
5. आहार में भिन्नता मौसमी और क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार हो सकती है, आहार भिन्नता नीचे दी गई है- :
 - I. विभिन्न दालें अरहर, मूंग) ग्रीन ग्राम (और चना) बंगाल ग्राम (की किस्में वैकल्पिक रूप से दी जा सकती हैं।
 - II. बच्चों को 60 ग्राम गुड़ और 60 ग्राम मूंगफली बीजों के साथ लड्डू या किसी अन्य मिठाई या 100 ग्राम पनीर के आकार में दिया जाएगा।
 - III. पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, सरसों के पत्ते किसी अन्य साग आदि को सप्ताह में एक बार भी जारी किया जा सकता है। अगर किसी रसोईघर के बगीचे को किसी भी

संस्थान, से जोड़ा जाता है, जहा पत्तेदार सब्जिया उगाया और वितरित किया जाता है तो अधीक्षक को सब्जियों की विभिन्न किस्मों को मिश्रित करना चाहिए और देखें कि वही वेजिटेबल कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए दोहराया नहीं जाता है।

IV. मौसमी फल पर्याप्त मात्रा में एक गैर-दोहराव के तरीके में प्रदान किए जाएंगे।

6. भोजन समय –

I. नाश्ता- 7.30 बजे से 8.30 बजे तक

- दूध
- पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल।

II. दोपहर 12.30 से 1.30 पीएम पर लंच

III. चाय एवं हल्का नाश्ता - सांय 4.30 से 5.00 बजे

रात्रिभोज- 7.00 पीएम- 8.00 पीएम

- चावल एवं मीनू संलग्न अनुसार
- सब्जी करी
- सांभर या दाल:
- मक्खन दूध या दही।

7. अन्य:-

- i. मौसम के आधार पर, अधीक्षक के पास भोजन के वितरण के लिए समय बदलने का अधिकार होगा।
- ii. संस्थान के डॉक्टर की सलाह पर या अधीक्षक के विवेकाधिकार पर, बीमार बच्चों के लिए स्केल के अनुसार, बीमार होने पर बीमार बच्चे को नियमित भोजन लेने से रोका जा सकता है; वजन, या अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए और दैनिक गणना के उद्देश्य के लिए, नियमित आहार के अलावा संस्थान डॉक्टर की सलाह पर दूध, अंडे, चीनी और फलों जैसे पोषण आहार दिया जा सकता है
- iii. बीमार अथवा कमजोर बच्चों को अतिरिक्त आहार जारी किया जाएगा।

मीनू

छात्रावास स्तर पर बालिकाओं की समिति द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

नाश्ते की साप्ताहिक व्यंजन सूची
(सोमवार से रविवार बदल-बदल कर)

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. इडली सांभर | 3 नग |
| 2. सांभर बड़ा | 3 नग |
| 3. पोहा जलेबी | 1 प्लेट पोहा, जलेबी 50 ग्राम |
| 4. ब्रेड पकौड़ा/सैंडविच | 2 नग |
| 5. दही अजवाइन पराठा | 2 नग |
| 6. आलू पराठा/पकौड़े/उपमा | 2 नग पराठा/1 प्लेट पकौड़े/1 प्लेट उपमा |
| 7. समोसा | 2 नग |
| 8. अंकुरित (फ्राइड) | |
- नाश्ता 1 कप चाय के साथ दिया जाएगा।

दोपहर तथा रात का भोजन

(सप्ताह में 07 दिन निम्नलिखित में से कोई एक बदल-बदल कर)

1. चावल (दुबाराज/बासमती)
 1. जीरा फ्राइड चावल
 2. वेजीटेबिल चावल
 3. सादा चावल
2. दाल
 1. दाल तड़का - अरहर
 2. दाल फ्राइड - अरहर
 3. दाल मिक्सड
 4. दाल मखानी/मूंग दाल/मसूर दाल

(सप्ताह के सातों दिन दोपहर तथा रात्रि के भोजन में निम्नलिखित में से कोई एक बदल-बदल कर)

3. सब्जियां
 1. कढ़ी पकौड़ा
 2. मिक्सड वेजीटेबिल
 3. पनीर की सब्जी
 4. दम आलू

4. राजमा मसाला
5. चना देशी मसाला
6. भिण्डी मसाला
7. मटर-टमाटर
8. लौकी टमेटो
9. लौकी कोपता करी
10. मौसम अनुसार सब्जियां
11. सूखी सब्जी (आलू टमाटर)
12. बैंगन भरता
13. आलू रसदार सब्जी

4. दही (सप्ताह के 3 दिन दोपहर भोजन में निम्नलिखित में से कोई एक)

1. बूंदी रायता
2. दही बड़ा
3. मिक्स वेज रायता
4. कुकुम्बर टमेटो

5. अचार (इनमें से कोई एक अचार दोनों समय दोपहर तथा रात्रि के भोजन में)

1. मिक्स्ट अचार
2. आम का अचार

6. सलाद (इनमें से कोई एक सलाद दोनों समय दोपहर तथा रात्रि के भोजन में)

1. ग्रीन सलाद
2. अँनियन टमेटो
3. कुकुम्बर अँनियन

7. रोटी

1. गर्म चपाती शर्बती गेंहू के आटे की, जिसमें रागी एवं अन्य अनाज भी मिलाये जा सकते हैं।

8. विशेष भोजन—5 बार माह में कभी भी (सप्ताह में एक बार रात्रि के भोजन में)

1. पूरी/बाटी
2. वेज पुलाव
3. छोला, राजमा
4. दाल मखानी

9. रविवार का विशेष भोजन



1. पूरी / बाटी
2. खिचड़ी मसाला / पुलाव
3. दही बूंदी रायता
4. पनीर बटर मसाला
5. खीर / गुलाब जामुन / हलुवा / मीठा

10. शाम – 01 कप चाय के साथ 04 बिस्किट

1. उपरोक्त तालिका के अनुसार विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नाश्ता दोपहर के भोजन एवं रात्रि के भोजन की दरें समग्र रूप से महीने के मान से दी जावें।
2. किसी भी विद्यार्थी के दो दिवस अवकाश पर रहने के पश्चात् की स्थिति में अवकाश दिवसों का भुगतान मासिक दर में 30 का भाग देकर प्रतिदिन के हिसाब से काटा जावेगा।
3. विद्यार्थियों के पालकों के भोजन एवं स्वलपाहार की व्यवस्था भी इसी दर पर होगी।
4. दाल मखानी / मूंग दाल / मसूर दाल

11. फल

1. मौसमी फल प्रतिदिन देना होंगे।
(सेवफल / केला / नाशपाती / आम / तरबूज / खरबूजा / चीकू / संतरा इत्यादि)



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

तकनीकी निविदा-परिशिष्ट:- 'अ' एक

तकनीकी निविदा को एक मुहरबंद पृथक लिफाफे में रखा जाए, जिस पर "मेस कार्य व्यवस्था हेतु तकनीकी निविदा" लिखा जाए। तकनीकी निविदा में परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब, व परिशिष्ट-स (घोषणा पत्र) आदि समाहित होंगे तथा "प्रतिभूति की राशि" तकनीकी निविदा के साथ रखी जाएगी।

1. निविदाकर्ता हेतु पात्रता: प्रतिष्ठित अनुभवी निविदाकर्ता जिसे मेस कार्य व्यवस्था व्यवसाय का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव हो, साथ ही किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय, पब्लिक सेक्टर विभागों में निविदाकर्ता द्वारा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान की हो एवं पिछले तीन वर्षों का व्यवसाय रुपये पचास लाख से अधिक हो, आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- 2.

क्रमांक	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाए
1.	निविदाकर्ता फर्म/संस्था का नाम/पूर्ण पता	
2.	व्यवसाय का स्वरूप प्रोपराइटर/भागीदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी(भागीदारी तथा संचालकों का नाम)पूर्ण पता	
3.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	राशि रु. तिथि रसीद क्रमांक
4.	प्रतिभूति राशि का विवरण	राशि रु. तिथि रसीद क्रमांक
5.	निविदाकर्ता फर्म/संस्था स्थापना का पंजीयन क्रमांक तथा तिथि	

3. निविदाकर्ता फर्म/संस्था के (स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र) अनुभव का विवरण -

क्रमांक	अवधि	विभाग/संस्था का नाम तथा पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक	अनुभव प्रमाण-पत्र का विवरण	टिप्पणी

4. निविदाकर्ता की फर्म/संस्था स्थापना का पंजीयन— :
प्रमाण पत्र क्रमांक/तिथि
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
5. आयकर विवरणी (पूर्व के तीन वर्षों की स्वप्रमाणित :
छायाप्रति संलग्न करें)
6. वार्षिक संकल विकय (पूर्व के तीन वर्षों का सी.ए.द्वारा :
प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
7. आयकर स्थायी लेखा संख्या (स्वहस्ताक्षित छायाप्रति :
संलग्न करें ।
8. म.प्र. GST पंजीयन का प्रमाण पत्र :
(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)
9. सेवाकर पंजीयन का प्रमाण पत्र :
(स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)
10. वित्तीय विवरण (पूर्व के तीन वर्षों के सी.ए. :
द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण संलग्न करें)
11. खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम के अन्तर्गत :
जारी प्रमाण—पत्र (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
12. कर्मचारी भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा :
अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन का प्रमाण—पत्र
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

दिनांक :
स्थान :

पूर्ण हस्ताक्षर/मुद्रा
निविदाकर्ता का नाम

टिप्पणी :-1. कृपया दस्तावेज की स्वच्छ व स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करें ।
2. विगत तीन वर्षों, वर्ष 2015—16, 2016—17, 2017—18 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक प्रत्येक वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन सहित संलग्न करें ।

तकनीकी निविदा-परिशिष्ट:- 'दो'

निविदा प्रपत्र के साथ वर्तमान ग्राहकों की सूची के साथ जानकारी व दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा निरस्त कर दिये जाएंगे यह निविदा हेतु प्रस्तुत मापदंड है और इस सूची में पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रदाय की गयी सेवाओं को शामिल कर सकते हैं।

क्रमांक	ग्राहक का नाम	दूरभाष क्रमांक	ग्राहक का पता	सेस संविदा अनुबंध की अवधि	संविदा मूल्य प्रतिवर्ष

दिनांक :

स्थान :

पूर्ण हस्ताक्षर/मुद्रा
निविदाकर्ता का नाम

टिप्पणी :- उपरोक्त ग्राहकों की सूची में दर्शाये गये व संलग्न दस्तावेजों का संबंधित विभाग से सत्यापन किया जावेगा। असत्य पाए जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जाएंगे।

तकनीकी निविदा-परिशिष्ट:-' **द्वि**

निविदा प्रपत्र के साथ पूर्व ग्राहकों की सूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जानकारी व दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है । अन्यथा निरस्त कर दिये जाएंगे यह निविदा हेतु प्रस्तुत मापदंड है और इस सूची में पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रदाय की गयी सेवाओं को शामिल कर सकते हैं ।

क्रमांक	पूर्व ग्राहकों का नाम	दूरभाष क्रमांक	पूर्व ग्राहक का पता	मेस संविदा अनुबंध की अवधि	संविदा मूल्य प्रतिवर्ष

दिनांक :.....

स्थान :.....

टिप्पणी :-

पूर्ण हस्ताक्षर/मुद्रा
निविदाकर्ता का नाम

उपरोक्त पूर्व ग्राहकों की सूची में दर्शाये गये व संलग्न दस्तावेजों का संबंधित विभाग से सत्यापन किया जावेगा । असत्य पाए जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जाएंगे ।

तकनीकी निविदा-परिशिष्ट:- 'मेस-कार्य'
(घोषणा-पत्र)

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला -

महोदय/महोदया,

1. मैं/हम, अधोहस्ताक्षरीय (जिसे बाद में "संविदाकार" कहा जाएगा) यह कथन करता हूँ/करते हैं कि मैंने जिलों में छात्रावास हेतु 'मेस कार्य व्यवस्था' के संचालन का अनुबंध प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ।
2. मैं/हम इस विषय की सूचना के अंतर्गत आमंत्रित निविदा में सूचीबद्ध अनूसूचित व विषयवस्तु के समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं ।
3. मैं/हम, एतद् यह पृष्टि करते हैं कि मैं/हमने सभी नियमों व शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया है । जिसके पालन करने के लिए मैंने/हमने अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं । किसी भी विसंगति/विवाद या परिशिष्ट में गलत जानकारी की स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिलाका निर्णय अंतिम होगा ।
4. मैं/हम, एतद् द्वारा यह पुष्टि करता/करते हैं कि समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत आमंत्रित निविदा के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शायी गई सूची के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध रहूंगा/रहेंगे ।
5. मैं/हम, यह वचन देते हैं कि मुझे/हमें शासकीय, अर्धशासकीय व पब्लिक सेक्टर विभागों में 'मेस कार्य व्यवस्था' संचालन का 03 वर्षों का संतोषजनक अनुभव है जिनके स्थानों/कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं :-

क्रमांक	ग्राहकों के नाम	ग्राहको का पता दूरभाष क्रमांक

6. मैं/हम, एतद् द्वारा यह वचन देते हैं कि मुझे/हमें यदि 'मेस कार्य व्यवस्था' की संविदा प्राप्त होती है तो मुझे/हमें जिला शिक्षा अधिकारी जिलाके पक्ष में प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी । जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा यह प्रतिभूति राशि संविदा की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात बकाया राशि में से समयोजित की जाकर वापस कर दी जावेगी ।

7. मैं/हम, यह वचन देते हैं कि संविदा का अवसर प्राप्त होता है, तो मैं/हम 'मेस कार्य व्यवस्था' संविदा का अनुबंध (जो कि उचित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित) दर्शायी गई तिथि के अनुसार हस्ताक्षर कर अनुबंध का निष्पादन करूंगा/करेंगे ।
8. मैं/हम, एतद द्वारा बैंक ड्राफ्ट क्रमांक बैंक का नाम दिनांक ..
.....राशि(रु.)..... का संलग्न है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी जिलाके पक्ष में देय है ।
9. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों/नियम (निविदा क्रमांक) के उल्लंघन अथवा पालन न किये जाने की दशा में जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाके द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार जो भी दण्ड दिया जाएगा, मैं उसका प्रतिभागी रहूंगा/ रहेंगे ।
10. मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा नाम, विद्यालय अथवा अन्य किसी शासकीय या अर्धशासकीय विभाग की काली सूची में दर्ज नहीं है, तथा इस कथन के सत्यापन हेतु शपथ-पत्र संलग्न है । यदि शपथ पत्र असत्य पाया जाता है तो विद्यालय कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।
11. मैं/हम, अधिनियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों का वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा अन्य वैधानिक दायित्व के संबंध में सभी बकाया राशि का भुगतान करने का वचन देता हूँ/देते हैं । मेरे/हमारे द्वारा जो दरें कार्य संविदा अनुबंध में उद्धृत है वह पूर्ण कार्य अवधि के लिए मुझ पर बाध्यकारी रहेंगी ।

दिनांक :
स्थान :

पूर्ण हस्ताक्षर/मुद्रा
निविदाकर्ता का नाम /पता



" छात्रावास मेस कार्य व्यवस्था
चैकलिस्ट तकनीकी निविदा

दिनांक :

समय : अपरान्ह बजे

आवेदनकर्ता की संस्था का नामपता

क्र०	पत्रकों की सूची	संलग्न पत्रक	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा फार्म क्य करने का प्रमाण(मूल प्रति संलग्न करें)		
2.	प्रतिभूति राशि प्रति छात्रावास रु. 100000.00 का बैंक ड्राफ्ट		
3.	आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जारी स्थायी लेखा संख्या की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
4.	मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
5.	मध्यप्रदेश GST के अंतर्गत जारी पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
6.	मध्यप्रदेश GST के अन्तर्गत जारी कर समाशोधन के नवीनतम प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
7.	खाद्य,सुरक्षा और मानक अधिनियम के अधीन पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
9.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
10.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का टर्नओवर का मूल प्रमाण-पत्र		
11.	विगत तीन वर्षों की स्वप्रमाणित आयकर विवरणी (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18)		
12.	GST/सेवाकर के विगत तीन वर्षों के विवरण पत्र तथा कर भुगतान के चालानों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि		
13.	शपथ पत्र इस आशय हेतु निविदाकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज नहीं है ।		
14.	यदि निविदाकर्ता स्वयं उपस्थित न हो तो उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें ।		
15..	विगत 3 वर्षों के अनुभव प्रमाण-पत्र की सूची ।		

नोट : 1. संलग्न प्रत्येक पत्रकों पर पृष्ठ संख्या दर्ज करना अनिवार्य है ।

2. संलग्न पत्रक की पृष्ठ संख्या को उपरोक्त सूची में आवश्यक रूप से दर्ज करें ।

हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा परिशिष्ट- II

1. निविदाकर्ता का नाम/पता :

दूरभाष क्रमांक

2. मेस कार्य व्यवस्था संलग्न मेनु निविदा प्रपत्र-I के अनुसार नाश्ता, चाय, दोपहर के भोजन, राशि के भोजन की मासिक दरें जो समस्त कर सहित (प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन) के आधार पर निम्नानुसार हैं -

स.क्र	विवरण	प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन	प्रति विद्यार्थी मासिक दर (अंकों में)	मासिक दर (शब्दों में)


नोट :

- उपरोक्त वित्तीय परिशिष्ट-II द्वितीय मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें ।
- वित्तीय निविदा तथा तकनीकी निविदा का मुहरबंद पृथक-पृथक लिफाफे में रखना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी ।
- प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें ।
- अंकों एवं शब्दों में त्रुटि पाये जाने पर न्यूनतम दर स्वीकार की जायेगी ।

दिनांक :

स्थान :

पूर्ण हस्ताक्षर/मुद्रा



“अनुबंध पत्र”

(100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांकको (इसके उपरांत प्रथम पक्ष कहलायेंगे) तथा (इसके उपरांत द्वितीय पक्ष कहलायेंगे) के छात्रावास की मेस व्यवस्था हेतु संबंधित सेवायें प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों पर संपादित किया जाता है:-

1. अनुबंध के समय निविदाकार का सिक्कूरिटी डिपॉजिट के रूप में बालिका छात्रावासके पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में रूपये 100000/- (रूपये एक लाख) की एफ.डी.आर. जमा करनी होगी, सत्र भर के कार्य निर्धारित शर्तों के अधीन सुचारू रूप से संचालित करने एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की सहमति से उक्त अनुबंध वर्तमान सत्र से प्रभावी माना जायेगा।
2. भोजन तैयार करने हेतु किचन एवं भोजन करने हेतु डायनिंग हाल एवं टेबिल एवं बर्तनों के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त डिशवॉशर डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर तथा समुचित कीटनाशकों का उपयोग किया जाना होगा किसी भी प्रकार से सफाई की शिकायत होने पर ठेकेदार के भुगतान देयक से 1,000/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती किया जा सकेगा।
3. भोजन की गुणवत्ता के संबंध में एवं अन्य नियम शर्तें निविदा में उल्लेखित अनुसार ही मान्य होगी।
4. भोजन तैयार करने हेतु किचन की उपलब्धता का प्रदाय छात्रावास द्वारा किया जायेगा। इसके संधारण एवं रिपेयर संबंधित कार्य निविदाकार को करना होगा। इसके अतिरिक्त लगने वाली अन्य सामग्री तथा भोजन परोसने एवं खाने के बर्तन इत्यादि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।
5. विद्यालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली किचन से संबंधित सामग्री फर्नीचर इत्यादि का किराया, विद्युत खपत की राशि रूपये 5000/- प्रतिमाह एवं जलदर की राशि रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से बालिका छात्रावास के कार्यालय में प्रत्येक माह जमा करना होगी। कार्यालय द्वारा बिल भुगतान के 3 दिवस के अंदर की जावेगी।
6. विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाली कोई भी सामग्री कम होती है, टूटती-फूटती या गुम होती है, तो इसकी पूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगी।
7. किचन में प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ठेकेदार के कर्मचारी उपलब्ध होना चाहिये, ठेकेदार के कर्मचारी प्रतिदिन किचन तथा समस्त बर्तन एवं फर्नीचर की सफाई सुनिश्चित करने के बाद ही जायेंगे। यदि औचक निरीक्षण में गंदगी पाई जाती है, तो प्रत्येक बार रूपये 1,000/- राशि का कटौती किया जायेगा।
8. छात्रावास के समस्त विद्यार्थियों को निविदा में उल्लेखित तथा मेन्यू के अनुसार नाश्ता एवं दोनों समय भोजन प्रदाय किया जायेगा शाम 4:00 बजे छोटे बिस्कुट पैकेट के साथ चाय तथा ग्रीष्म-ऋतु में ठंडा पेय पदार्थ जैसे- लस्सी, जलजीरा, नीबू का शर्बत, छाछ देना होगा।
9. छात्रावास में ठहरे छात्र/छात्राएं प्रशिक्षार्थियों के स्वास्थ्य खराब होने पर मांग के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

10. मेस किचन में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जायेगी। पूर्व से छात्रावास में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्य करने वाले कर्मचारी शालीन, सभ्य एवं साफ-सुथरे होने चाहिये। कार्य करने वाले कर्मचारियों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा इनके यूनिफार्म पर नाम की पट्टी लगाना अनिवार्य होगा एवं कन्या छात्रावास में महिला कर्मी रखे जावेंगे।
11. मेस किचन में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी शराब, तम्बाकू अथवा सिगरेट तथा अन्य नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी को प्रदाय करेगा। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को तत्काल हटाने की कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी।
12. किसी भी वाद की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
13. भोजन पकाने हेतु व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग करना अनिवार्य है, जिसकी व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। जिसका पूर्व से कोई भी भुगतान विद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
14. मौसम के अनुसार उपलब्ध होने वाली सब्जियों जैसे आलू, मटर, टमाटर, भिण्डी, कटहल, बैंगन, शिमला मिर्च, बीन्स, टिण्डे, परमल, करेला, अरबी, लौकी इत्यादि का उपयोग तैयार किये गये मेन्यू के अनुसार बारी-बारी से देना होगा।
15. भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/छात्रा को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना होगा। 14 से 18 वर्ष की बालिका के लिए एक दिन में 2060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस हेतु नाश्ते के अतिरिक्त भोजन हेतु संलग्न अनुसार डाइट चार्ट का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. स्वीट डिश के रूप में परोसे गये आयटम जैसे छेना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इत्यादि इस प्रकार के आयटम का साईज स्टेण्डर्ड रहेगा।
17. ब्रांडेड मसालों को प्रयोग में लाया जायेगा, अन्य ब्रांड के मसाले प्रयोग में लाने के पूर्व प्राचार्य/वार्डन की अनुमति आवश्यक होगी।
18. जो भी खाद्य सामग्री उपयोग में लाई जावें वह अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिये। किचन में उपयोग में लाई गई हरी सब्जियां, ताजी तथा मुलायम होनी चाहिये। जिनमें कीटनाशकों का प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक न किया गया हो।
19. द्वितीय पक्षकार (ठेकेदार) को सेवायें समाप्त करने से दो माह पूर्व, लिखित सूचना देना अति अनिवार्य होगा। यदि प्रथम पक्षकार द्वारा भी सेवायें समाप्त करना है, तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना देकर कार्य समाप्त किया जा सकता है।
20. छात्र-छात्राओं के दो दिन से कम के अवकाश की बिल में कटौती नहीं की जायेगी।
21. समस्त नियम एवं शर्तें निविदा में उल्लेखित एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति बालिका छात्रावास द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य होगी।
22. किसी भी तरह के वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र..... होगा।
23. छात्र-छात्राओं की अवकाश की स्थिति पक्षकार को रेंट में किराये के दिन से उतने दिन का भुगतान करने की अनुमति होगी। जितने दिन माह में किचन का उपयोग किया होगा।
24. पालको के भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था छात्रों हेतु निर्धारित दर पर ही होगी।

“अनुबंध पत्र”

(100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांकको (इसके उपरांत प्रथम पक्ष कहलायेंगे) तथा (इसके उपरांत द्वितीय पक्ष कहलायेंगे) के बालिका छात्रावास की मेस व्यवस्था हेतु संबंधित सेवार्य प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों पर संपादित किया जाता है:-

1. अनुबंध के समय निविदाकार का सिक्यूरिटी डिपॉजिट के रूप में बालिका छात्रावासके पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) की एफ.डी.आर. जमा करनी होगी, सत्र भर के कार्य निर्धारित शर्तों के अधीन सुचारू रूप से संचालित करने एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की सहमति से उक्त अनुबंध वर्तमान सत्र से प्रभावी माना जायेगा।
2. भोजन तैयार करने हेतु किचन एवं भोजन करने हेतु डायनिंग हाल एवं टेबिल एवं बर्तनों के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त डिशवॉशर डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर तथा समुचित कीटनाशकों का उपयोग किया जाना होगा किसी भी प्रकार से सफाई की शिकायत होने पर ठेकेदार के भुगतान देयक से 1,000/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती किया जा सकेगा।
3. भोजन की गुणवत्ता के संबंध में एवं अन्य नियम शर्तें निविदा में उल्लेखित अनुसार ही मान्य होगी।
4. भोजन तैयार करने हेतु किचन की उपलब्धता का प्रदाय छात्रावास द्वारा किया जायेगा। इसके संधारण एवं रिपेयर संबंधित कार्य निविदाकार को करना होगा। इसके अतिरिक्त लगने वाली अन्य सामग्री तथा भोजन परोसने एवं खाने के बर्तन इत्यादि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।
5. विद्यालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली किचन से संबंधित सामग्री फर्नीचर इत्यादि का किराया, विद्युत खपत की राशि रूपये 5000/- प्रतिमाह एवं जलदर की राशि रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से बालिका छात्रावास के कार्यालय में प्रत्येक माह जमा करना होगी। कार्यालय द्वारा बिल भुगतान के 3 दिवस के अंदर की जावेगी।
6. विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाली कोई भी सामग्री कम होती है, टूटती-फूटती या गुम होती है, तो इसकी पूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगी।
7. किचन में प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ठेकेदार के कर्मचारी उपलब्ध होना चाहिये, ठेकेदार के कर्मचारी प्रतिदिन किचन तथा समस्त बर्तन एवं फर्नीचर की सफाई सुनिश्चित करने के बाद ही जायेंगे। यदि औचक निरीक्षण में गंदगी पाई जाती है, तो प्रत्येक बार रूपये 1,000/- राशि का कटौती किया जायेगा।
8. छात्रावास के समस्त विद्यार्थियों को निविदा में उल्लेखित तथा मेन्यू के अनुसार नाश्ता एवं दोनों समय भोजन प्रदाय किया जायेगा शाम 4:00 बजे छोटे बिस्कुट पैकेट के साथ चाय तथा ग्रीष्म-ऋतु में ठंडा पेय पदार्थ जैसे- लस्सी, जलजीरा, नीबू का शर्बत, छाछ देना होगा।

9. छात्रावास में ठहरे छात्र/छात्राएं प्रशिक्षार्थियों के स्वास्थ्य खराब होने पर मांग के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
10. मेस किचन में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जायेगी। पूर्व से छात्रावास में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्य करने वाले कर्मचारी शालीन, सभ्य एवं साफ-सुथरे होने चाहिये। कार्य करने वाले कर्मचारियों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा इनके यूनिफार्म पर नाम की पट्टी लगाना अनिवार्य होगा एवं कन्या छात्रावास में महिला कर्मी रखे जावेंगे।
11. मेस किचन में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी शराब, तम्बाकू अथवा सिगरेट तथा अन्य नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी को प्रदाय करेगा। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को तत्काल हटाने की कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी।
12. किसी भी वाद की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निर्णय अंतिम होगा।
13. भोजन पकाने हेतु व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग करना अनिवार्य है, जिसकी व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी। जिसका पूर्व से कोई भी भुगतान विद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
14. मौसम के अनुसार उपलब्ध होने वाली सब्जियों जैसे आलू, मटर, टमाटर, भिण्डी, कटहल, बैंगन, शिमला मिर्च, बीन्स, टिण्डे, परमल, करेला, अरबी, लौकी इत्यादि का उपयोग तैयार किये गये मेन्यू के अनुसार बारी-बारी से देना होगा।
15. भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/छात्रा को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना होगा। 14 से 18 वर्ष की बालिका के लिए एक दिन में न्यूनतम 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस हेतु नाश्ते के अतिरिक्त भोजन हेतु निम्नानुसार डाइट चार्ट का पालन करना अनिवार्य होगा।

भोज्य पदार्थ	मात्रा	माप	रिमार्क
अनाज	320 ग्राम	7 चपाती के बराबर कोई अनाज	एक समय के भोजन के लिए
दालें	120 ग्राम	2 कटोरी पकी	एक समय के भोजन के लिए
हरी पत्ते वाली सब्जियां	150 ग्राम	एक कटोरी पकी	एक समय के भोजन के लिए
अन्य सब्जियां	150 ग्राम	एक कटोरी पकी	एक समय के भोजन के लिए
फल	100 ग्राम	एक फल	एक दिन के लिए
दूध	300 मि.ली.	दो कप	एक दिन के लिए
वसा/तेल	30 ग्राम	6 छोटा चम्मच	एक दिन के लिए
शक्कर/गुड	30 ग्राम	6 छोटा चम्मच	एक दिन के लिए

16. स्वीट डिश के रूप में परोसे गये आयटम जैसे छेना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इत्यादि इस प्रकार के आयटम का साईज स्टेण्डर्ड रहेगा।
17. ब्रांडेड मसालों को प्रयोग में लाया जायेगा, अन्य ब्रांड के मसाले प्रयोग में लाने के पूर्व प्राचार्य/वार्डन की अनुमति आवश्यक होगी।
18. जो भी खाद्य सामग्री उपयोग में लाई जावे वह अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिये। किचिन में उपयोग में लाई गई हरी सब्जियां, ताजी तथा मुलायम होनी चाहिये। जिनमें कीटनाशकों का प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक न किया गया हो।
19. द्वितीय पक्षकार (ठेकेदार) को सेवायें समाप्त करने से दो माह पूर्व, लिखित सूचना देना अति अनिवार्य होगा। यदि प्रथम पक्षकार द्वारा भी सेवायें समाप्त करना है, तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना देकर कार्य समाप्त किया जा सकता है।
20. छात्र-छात्राओं के दो दिन से कम के अवकाश की बिल में कटौती नहीं की जायेगी।
21. समस्त नियम एवं शर्तें निविदा में उल्लेखित एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति बालिका छात्रावास द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य होगी।
22. किसी भी तरह के वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र..... होगा।
23. छात्र-छात्राओं की अवकाश की स्थिति पक्षकार को रेंट में किराये के दिन से उतने दिन का भुगतान करने की अनुमति होगी। जितने दिन माह में किचिन का उपयोग किया होगा।
24. पालको के भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था छात्रों हेतु निर्धारित दर पर ही होगी।

छात्रावास की मेस व्यवस्था हेतु मीनू

1 पोषण और आहार मानक-

1. निम्नलिखित पोषण और आहार पैमाने का पालन छात्रावासों में किया जाएगा -

- I. बच्चों को एक दिन में चार भोजन प्रदान किए जाएंगे।
- II. मेनू पोषण संबंधी विवरण की मदद से तैयार किया जाएगा, चिकित्सक द्वारा मासिक चिकित्सा जांच-पड़ताल के दौरान, यदि बच्चों में कोई कमी देखी जाती है, तो पोषण संबंधी कमी की पूर्ति के लिए मेनू तैयार किया जाना चाहिए।
- III. प्रत्येक छात्रावास नीचे निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम पोषण मानक और आहार पैमाने का पालन करेगा:-

सरल क्रमांक	नाम	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा
1	चावल, गेहूँ, रागी, चावल का आटा	600 ग्राम, (700 ग्रा. 16-18 वर्ष के लिये)
2	दाल, राजमा, चना	120 ग्राम
3	खाने योग्य तेल	25 ग्राम
4	प्याज	25 ग्राम
5	नमक	25 ग्राम
6	हल्दी	5 ग्राम
7	धनिया पाउडर	5 ग्राम
8	अदरक	5 ग्राम
9	लहसुन	5 ग्राम
10	इमली/अमचूर पाउडर	5 ग्राम
11	दूध (नाश्ते में)	150 एमएल.
12	सूखी मिर्च	100 ग्राम, 130 ग्राम
13	सब्जियां पत्तों वाली	5 ग्राम
14	दही और पनीर	100 ग्राम/एमएल
15	पनीर या मशरूम	50 ग्राम
16	गुड़ और मूंगफली के दाने और पनीर	60 ग्राम (पनीर के लिये 100 ग्राम) सप्ताह में 1 बार
17	शक्कर	40 ग्राम
18	चाय	5 ग्राम
19	सूजी/पोहा	150 ग्राम

सरल क्रमांक	नाम	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा
20	रागी	150 ग्राम
निम्न सामग्री 50 बच्चों के लिये प्रतिदिन		
21	पीपर	25 ग्राम
22	जीरा	25 ग्राम
23	काला	50 ग्राम
24	सरसों	50 ग्राम
25	अजवाइन	50 ग्राम
पनीर और मशरूम के दिन		
26	गरम मसाला	10 ग्राम
27	खोपरा	150 ग्राम
28	खसखस	150 ग्राम
29	मूंगफली का तेल	500 ग्राम
बीमार बच्चों के लिये		
30	ब्रेड	500 ग्राम
31	दूध	500 एमएल.
32	खिचड़ी	300 ग्राम

2. बच्चों को अवकाश, त्यौहार, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय त्यौहारों पर विशेष भोजन या नाश्ता दिया जायेगा।
3. बीमार बच्चों को उनकी आवश्यकता पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार विशेष आहार प्रदान किया जाएगा।
4. प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा जिसमें लोहा, फोलिक एसिड, कैल्शियम और जिंक की खुराक की आवश्यकता शामिल है।
5. आहार में भिन्नता मौसमी और क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार हो सकती है, आहार भिन्नता नीचे दी गई है- :
 - I. विभिन्न दालें अरहर, मूंग) ग्रीन ग्राम (और चना) बंगाल ग्राम (की किस्में वैकल्पिक रूप से दी जा सकती हैं।
 - II. बच्चों को 60 ग्राम गुड़ और 60 ग्राम मूंगफली बीजों के साथ लड्डू या किसी अन्य मिठाई या 100 ग्राम पनीर के आकार में दिया जाएगा।
 - III. पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, सरसों के पत्ते किसी अन्य साग आदि को सप्ताह में एक बार भी जारी किया जा सकता है। अगर किसी रसोईघर के बगीचे को किसी भी

Handwritten signature

संस्थान, से जोड़ा जाता है, जहा पत्तेदार सब्जिया उगाया और वितरित किया जाता है तो अधीक्षक को सब्जियों की विभिन्न किस्मों को मिश्रित करना चाहिए और देखें कि वही वेजिटेबल कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए दोहराया नहीं जाता है।

IV. मौसमी फल पर्याप्त मात्रा में एक गैर-दोहराव के तरीके में प्रदान किए जाएंगे।

6. भोजन समय -

I. नाश्ता- 7.30 बजे से 8.30 बजे तक

- दूध
- पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल।

II. दोपहर 12.30 से 1.30 पीएम पर लंच

III. चाय एवं हल्का नाश्ता - सांय 4.30 से 5.00 बजे

रात्रिभोज- 7.00 पीएम- 8.00 पीएम

- चावल एवं मीनू संलग्न अनुसार
- सब्जी करी
- सांभर या दाल:
- मक्खन दूध या दही।

7. अन्य:-

- i. मौसम के आधार पर, अधीक्षक के पास भोजन के वितरण के लिए समय बदलने का अधिकार होगा।
- ii. संस्थान के डॉक्टर की सलाह पर या अधीक्षक के विवेकाधिकार पर, बीमार बच्चों के लिए स्केल के अनुसार, बीमार होने पर बीमार बच्चे को नियमित भोजन लेने से रोका जा सकता है; वजन, या अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए और दैनिक गणना के उद्देश्य के लिए, नियमित आहार के अलावा संस्थान डॉक्टर की सलाह पर दूध, अंडे, चीनी और फलों जैसे पोषण आहार दिया जा सकता है
- iii. बीमार अथवा कमजोर बच्चों को अतिरिक्त आहार जारी किया जाएगा।



मीनू

छात्रावास स्तर पर बालिकाओं की समिति द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

नाश्ते की साप्ताहिक व्यंजन सूची
(सोमवार से रविवार बदल-बदल कर)

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. इडली सांभर | 3 नग |
| 2. सांभर बड़ा | 3 नग |
| 3. पोहा जलेबी | 1 प्लेट पोहा, जलेबी 50 ग्राम |
| 4. ब्रेड पकौड़ा/सैंडविच | 2 नग |
| 5. दही अजवाइन पराठा | 2 नग |
| 6. आलू पराठा/पकौड़े/उपमा | 2 नग पराठा/1 प्लेट पकौड़े/1 प्लेट उपमा |
| 7. समोसा | 2 नग |
| 8. अंकुरित (फ्राइड) | |
- नाश्ता 1 कप चाय के साथ दिया जाएगा।

दोपहर तथा रात का भोजन

(सप्ताह में 07 दिन निम्नलिखित में से कोई एक बदल-बदल कर)

1. चावल (दुबराज/बासमती)
 1. जीरा फ्राइड चावल
 2. वेजीटेबिल चावल
 3. सादा चावल
2. दाल
 1. दाल तड़का - अरहर
 2. दाल फ्राइड - अरहर
 3. दाल मिक्सड
 4. दाल मखानी/मूंग दाल/मसूर दाल

(सप्ताह के सातों दिन दोपहर तथा रात्रि के भोजन में निम्नलिखित में से कोई एक बदल-बदल कर)

3. सब्जियां
 1. कढ़ी पकौड़ा
 2. मिक्सड वेजीटेबिल
 3. पनीर की सब्जी
 4. दम आलू

4. राजमा मसाला
5. चना देशी मसाला
6. भिण्डी मसाला
7. मटर-टमाटर
8. लौकी टमेटो
9. लौकी कोपता करी
10. मौसम अनुसार सब्जियां
11. सूखी सब्जी (आलू टमाटर)
12. बैंगन भरता
13. आलू रसदार सब्जी

4. दही (सप्ताह के 3 दिन दोपहर भोजन में निम्नलिखित में से कोई एक)

1. बूंदी रायता
2. दही बड़ा
3. मिक्स वेज रायता
4. कुकुम्बर टमेटो

5. अचार (इनमें से कोई एक अचार दोनों समय दोपहर तथा रात्रि के भोजन में)

1. मिक्स्ड अचार
2. आम का अचार

6. सलाद (इनमें से कोई एक सलाद दोनों समय दोपहर तथा रात्रि के भोजन में)

1. ग्रीन सलाद
2. अँनियन टमेटो
3. कुकुम्बर अँनियन

7. रोटी

1. गर्म चपाती शर्बती गेहूँ के आटे की, जिसमें रागी एवं अन्य अनाज भी मिलाये जा सकते हैं।

8. विशेष भोजन-5 बार माह में कभी भी (सप्ताह में एक बार रात्रि के भोजन में)

1. पूरी/बाटी
2. वेज पुलाव
3. छोला, राजमा
4. दाल मखानी

9. रविवार का विशेष भोजन



1. पूरी / बाटी
2. खिचड़ी मसाला / पुलाव
3. दही बूंदी रायता
4. पनीर बटर मसाला
5. खीर / गुलाब जामुन / हलुवा / मीठा

10. शाम - 01 कप चाय के साथ 04 बिस्किट

1. उपरोक्त तालिका के अनुसार विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नाश्ता दोपहर के भोजन एवं रात्रि के भोजन की दरें समग्र रूप से महीने के मान से दी जावें।
2. किसी भी विद्यार्थी के दो दिवस अवकाश पर रहने के पश्चात् की स्थिति में अवकाश दिवसों का भुगतान मासिक दर में 30 का भाग देकर प्रतिदिन के हिसाब से काटा जावेगा।
3. विद्यार्थियों के पालकों के भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था भी इसी दर पर होगी।
4. दाल मखानी / मूंग दाल / मसूर दाल

11. फल

1. मौसमी फल प्रतिदिन देना होंगे।
(सेबफल / केला / नाशपाती / आम / तरबूज / खरबूजा / चीकू / संतरा इत्यादि)

Duty